फर्द अहकाम

राजेन्द्र कुमार बनाम परशु वगै०

...य

35/2022 वाद

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
26/7/24	प. वादी उपस्थित/अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद इसी स्तर पर तकमील किया जाकर खारिज किया जाता है किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर खारिज पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला अनुसार होकर उपरोक्त नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–35 / 2022

उनवान

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. पप्पु पुत्र रामेश्वर
2. बनवारी पुत्र रामेश्वर
3. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर
4. बाबूलाल पुत्र झूंथाराम
5. शिम्भूदयाल पुत्र झूंथाराम
6. मदनलाल पुत्र झूंथाराम
7. मन्नालाल पुत्र झूंथाराम
8. गोपाल पुत्र काना

   समस्त जाति जाट निवासीयान् ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

9. मुरली पुत्र डूगा
10. मोती पुत्र झूंथा
11. बाबूलाल पुत्र साधू
12. कालू पुत्र साधू
13. धन्ना पुत्र साधू

    समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत नक्शा दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 89बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक :–26.07.2021

वादीया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला व्यक्ति है। वाके ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा नम्बर 436 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर '438 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.71 हैक्टेयर व [illegible] नम्बर 435 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.36 हैक्टेयर, [illegible] रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 766 रकबा 0.33 [illegible] नम्बर 767 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 779 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 781 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 10 का कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें वादी के पिता बतौर खातेदार काश्तकार थे व जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 निरन्तर काबिज काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

र है तथा उक्त भूमियां ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि है। दिनांक 14.03.2022 को वादी विवादग्रस्त भूमि पर काम कर रहा था, तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आये व वादी बेदखल करने की धमकी यह कहतें हुये दी की वादी के नाम भूमि विवादग्रस्त में कोई भी नही है, जिस पर वादी ने व आस पडोसियों ने विरोध किया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को समझाया तो वे चले गयें जिसके बाद वादी ने नकल जमाबन्दी भूमि विवादग्रस्त की प्राप्त की तो पता चला की वादी के पिता रामेश्वर की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण खुलते समय वादी का नाम राजेन्द्र कुमार शर्मा की जगह भयन व भैयन अंकित हो गया, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी को बेदखल करने पर आमादा हुये, जिसके बाद वादी ने घर परिवार के लोगो से बात की तब उनकी समझाईश पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी का नाम भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने पर सहमत हो गयें व इस बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने एक सहमति पत्र भी निष्पादित किया व भूमि विवादग्रस्त में वादी का अपने बराबर–बराबर हिस्सा माना। इसके बाद वादी ने राजस्व कर्मचारियों प्रतिवादी संख्या 14 के समक्ष व प्रशासन गांव के संग में भी सन् 2021 तक अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में भयन व भैयन की जगह राजेन्द्र कुमार शर्मा करवाने बाबत् काफी प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के सहमति के सहमति पत्र, शपथ पत्र व अपने अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, बैंक पास बुल, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत हाथनोदा के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिचय–पत्र, जन–आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बच्चो के दस्तावेजात वगै0 के साथ प्रस्तुत किये, लेकिन प्रतिवादी संख्या 14 वादी को दुरुस्ती बाबत् आश्वासन देते रहें व दिनांक 15.03.2022 को प्रतिवादी संख्या 14 ने वादी को रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करने से ये कहते हुये मना कर दिया की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को आप अपने साथ लेकर आवे इसके बाद वादी ने जब उक्त तथ्यों से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को दिनांक 16.03.2022 को अवगत करवाया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने भी बदनियती पूर्वक वादी को राजस्व रिकॉर्ड में भयन व भैयन की जगह सही नाम राजेन्द्र कुमार शर्मा अंकित करवाने से इंकार कर दिया व वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने, कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में दखल, रुकावट करने की धमकी दी, जिस कारण यह वादी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वादीया द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण रिकॉर्ड दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त में वादी का गलत रुप से दर्ज नाम भयन व भैयन के स्थान पर राजेन्द्र कुमार शर्मा अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 भूमि विवादग्रस्त के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का गलत रुप से दर्ज नाम भयन व भैयन के स्थान पर राजेन्द्र कुमार शर्मा दुरुस्त कर, इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने में किसी प्रकार से रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करें व वादी का नाम दुरुस्त होने तक व इसके पश्चात् भूमि विवादग्रस्त में निहित वादी को उसके हिस्से की भूमि को काम में लेने, उपयोग–उपभोग में कोई दखल, रुकावट उत्पन्न करें, वादी को जबरन या अन्यथा बेदखल करें, व प्रतिवादी संख्या 14 उक्त भूमियों की वर्तमान मौका स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड में श्रीमान् के आदेश [illegible] न करें।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] तामील अनुपस्थित। तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त की [illegible] के वादी का नाम भैयन व राजेन्द्र कुमार दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होना [illegible] गया है साथ ही विक्रय पत्र की प्रति पेश की गई है, विवादित भूमि में वादीगण का [illegible]र्ज हिस्सा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.1984 के द्वारा प्राप्त हुई है। वादी का नाम विक्रय पत्र में भी भयन पिता रामेश्वर ही दर्ज है। विक्रय पत्र के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पिता रामेश्वर दर्ज हुआ है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वादी ने अपना नाम आदिनांक भयन पुत्र रामेश्वर के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर शुद्धिकरण रजिस्टर्ड दस्तावेज में ... करवाया गया है न ही वादीगण के सहखातेदार काश्तकारों के द्वारा भयन पुत्र रामेश्वर व ...जेन्द्र पुत्र रामेश्वर दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होने की किसी प्रकार से कोई सहमति जाहिर नहीं की गई है। एवं वादीगण का नाम विवादित भूमि में जरिये विक्रय पत्र से प्राप्त भूमि में विक्रय पत्र अनुसार वादी का नाम भयन पुत्र रामेश्वर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रैक / मु0)
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा, जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. पप्पु पुत्र रामेश्वर
2. बनवारी पुत्र रामेश्वर
3. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर
4. बाबूलाल पुत्र झूंथाराम
5. शिम्भूदयाल पुत्र झूंथाराम
6. मदनलाल पुत्र झूंथाराम
7. मन्नालाल पुत्र झूंथाराम
8. गोपाल पुत्र काना

समस्त जाति जाट निवासीयान् ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

9. मुरली पुत्र डूगा
10. मोती पुत्र झूंथा
11. बाबूलाल पुत्र साधू
12. कालू पुत्र साधू
13. धन्ना पुत्र साधू

समस्त जाति जाट, निवासीयान् ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–35/2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादीया मिनजामिन मुददई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज [illegible] जा[illegible] है।

निजी ....मबलिक .... बाबत .... खर्चा [illegible] मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसू[illegible]ाय तक .... को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 26.07.2024 को जारी किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–35/2022
उनवान– राजेन्द्र कुमार बनाम पप्पु
निर्णय दिनांक– 26.07.2024

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner